

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Ambala Year (वर्ष): 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0010 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):
16/06/2022 19:46 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 16/06/2022 Time (समय): 19:46 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 010 Date and Time (दिनांक और समय):
16/06/2022 19:46 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH, 50 Km Beat No. (बीट सं.):
(s)

(b) Address (पता): सैक्टर-7, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)): KURUKSHETRA (HARYANA)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): नेहा

(b) Husband's Name (पति का नाम): हरिश शर्मा

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1998

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g)

ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	7बी कृष्णा कालोनी गामडी, कुरुक्षेत्र KURUKSHETRA, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	7बी कृष्णा कालोनी गामडी, कुरुक्षेत्र KURUKSHETRA, HARYANA, INDIA

(i) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	जयकरण उप निरीक्षक			1. ईन्चार्ज चौकी सैक्टर -7 KKR, KURUKSHETRA, HARYANA, INDIA
2	स.उ.नि. किरण			1. महिला थाना, कुरुक्षेत्र KURUKSHETRA, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)
------------------	---------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्री मान जी, नकल लेख निम्न प्रकार से है-
सेवा में,
इस्पैक्टर साहब,

विजिलेंस कुरुक्षेत्र।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि मैं नेहा पत्नी श्री हरीश शर्मा, निवासी कृष्णा नगर गामडी कालोनी 7(बी) 50 फुटा रोड, कुरुक्षेत्र की रहने वाली हूँ और मेरा डिवाइन्स माल कुरुक्षेत्र में क्लाइड 999 के नाम से सैलून है जिसमें काजल वासी सैक्टर-9 की वासी साफ-सफाई का काम करती थी। जो मेरे घर से एक बैड खरीद कर के ले गई थी। जिसने मुझे पैसे बाद में देने के लिए कहा था। लेकिन वह कुछ दिन के बाद काम छोड़कर चली गई थी। मैंने उसे कई बार बैड के दस हजार देने के लिए कहा लेकिन वह आनाकानी करने लगी। मैं व मेरी माता मई के अन्त में पैसे लेने के लिए काजल के कमरे पर गई तो उसने हमें गालियां देनी शुरू कर दी और वहां पुलिस आ गई और पुलिस ने उनकी विडियो बना ली थी। उसके बाद उसने मेरे खिलाफ एक दरखास्त पुलिस चौकी सैक्टर-7 में तथा एक दरखास्त डी0एस0पी0 सुभाष को दे दी। डी0एस0पी0 साहब ने महिला थाना में भेज दी थी दरखास्त। थाना ईन्चार्ज ने वह दरखास्त किरण नाम की महिला पुलिस कर्मचारी को दे दी। जिस पर किरण ने मुझे थाना में बुलाया और कहा के काजल के साथ मार-पिट्टाई की है व आप के पति ने छेड़छाड़ की है। इस पर मैंने भी एक दरखास्त एस0पी0 साहब को दिनांक 08.06.2022 को काजल द्वारा दी गई दरखास्त की निष्पक्ष जांच करने के लिए काजल के खिलाफ दी। जिस पर एस0पी0 साहब कुरुक्षेत्र ने दरखास्त चौकी सुभाष मण्डी में भेज दी। इस पर मैं जयकरण चौकी ईन्चार्ज चौकी के पास गई और कहा कि काजल ने मेरे खिलाफ एक झूठी दरखास्त महिला थाना में दी हुई है। जिस पर जयकरण ने मुझे कहा कि मैं किरण से बात करता हूँ। उसके बाद कल दिनांक 15.06.2022 को जयकरण चौकी ईन्चार्ज का उसके मो0 न0 7056700122 व 9996944447 से मेरे मो0न0 9991572905 पर 2/3 बार फोन आने के बाद मैं चौकी में गई। चौकी ईन्चार्ज जयकरण मुझे कहने लगा कि किरण ने मुझे कहा कि एक लाख रूपए में समझौता होगा। फिर जयकरण ने कहा कि आप कितनी दरखास्त दे ले व किसी भी अफसर के पास चली जाओ रूपए तो देने ही पड़ेगे। फिर मैंने कहा कि एक लाख तो ज्यादा है कुछ कम कर दो। जयकरण ने महिला पुलिस कर्मचारी किरण से बात की और मेरे को कहा कि 60000/- रूपए देने होंगे। 60000 रूपए में आपका समझौता करवा दूंगा किरण से कहकर। मैं रिश्त की राशि 60000/- रूपए चौकी ईन्चार्ज जयकरण व महिला पुलिस कर्मचारी किरण को देना नहीं चाहती। मैं यह 60000 रूपए रिश्त की राशि चौकी ईन्चार्ज जयकरण व महिला पुलिस कर्मचारी किरण को बतौर रिश्त राशि देकर उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार करवाना चाहती हूँ। इस सम्बन्ध में मैंने जयकरण की रिश्त लेने के सम्बन्ध में रिकॉर्डिंग भी की हुई है। जो बाद में मैं रिकॉर्डिंग की सी0डी0 बनाकर आपको पेश कर दूंगी। यह 60000 रूपए रिश्त की राशि मैंने हस्तलिखित दरखास्त के साथ आप को प्रस्तुत कर दी है। इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए।

sd नेहा पत्नी हरीश,

वासी 7(बी) कृष्णा नगर गामडी

50 फुटा रोड, कुरुक्षेत्र

मो0न0 7015420611।

कार्यवाही पुलिस- अज निरीक्षक निरीक्षक मय स्टाफ के हाजिर कार्यालय राज्य चौकसी ब्यूरो उप केन्द्र कुरुक्षेत्र हूँ कि श्री मति नेहा पत्नी श्री हरीश शर्मा निवासी कृष्णा नगर गामडी कालोनी 7(बी) 50 फुटा रोड, कुरुक्षेत्र ने हाजिर कार्यालय आकर एक हस्त लिखित शिकायत मन निरीक्षक को पेश की जिस पर मन निरीक्षक ने उच्च अधिकारियों से बातचीत करने उपरांत प्राप्त दिशा निर्देश अनुसार शिकायतकर्ता से रेड करवाने बारे पूछताछ की और सन्तुष्ट होने पर शिकायतकर्ता द्वारा पेश किये गये मुबलिक 60000/-रु0 के करन्सी नोट जिनमें 8 अदद करन्सी नोट 500/500 रूपए व 28 अदद करन्सी नोट 2000/2000 रूपए के कब्जा पुलिस में लेकर अलग से फर्द सूची नोट तैयार की गई। फर्द सूची नोट पर मन निरीक्षक व शिकायतकर्ता नेहा ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। दरखास्त उपरोक्त से 30नि0 जयकरण चौकी ईन्चार्ज सैक्टर-7 कुरुक्षेत्र द्वारा शिकायतकर्ता के विरुद्ध पुलिस चौकी सैक्टर-7 कुरुक्षेत्र में काजल वासी सैक्टर-7 द्वारा दी गई शिकायत का समझौता करवाने की ऐवज में 60000 रु रिश्त राशि मांगने पर 30नि0 जयकरण चौकी ईन्चार्ज सैक्टर-7 कुरुक्षेत्र व ASI किरण के विरुद्ध अपराध धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 का सरजद होना पाया गया है। दरखास्त पर तहरीर हजा लिखकर बजरिया स030नि0 विकास कुमार न0 4/421 के बराये करवाने कायमी मुकदमा दर्ज प्रबन्धक थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला की सेवा में भेजा जा रहा है। कृपया तहरीर पर अभियोग अंकित करके मिसल अभियोग, नकल मिसल मौका पर व स्पेशल रिपोर्ट इलाका मैजिस्ट्रेट, कुरुक्षेत्र व अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई

जाए। मन निरीक्षक मय निरीक्षक बिमला देवी न० 1272/AMB, उ०नि० सन्तोष न० 864/KNL, उ०नि० सन्दीप न० 4/63, स०उ०नि० दलबीर न० 097/KNL, स०उ०नि० सुनील कुमार न० 2/87, एच०सी० अजय न० 3/30 व सिपाही कृष्ण न० 226/KKR के रेडिंग पार्टी तैयार की गई व सभी को हिदायत मुनासिब जारी की गई। मन निरीक्षक मय साथी कर्मचारियों व शिकायतकर्ता नेहा को साथ लेकर बराये लेने ईजाजत रेड व करवाने नियुक्त इयूटी मैजिस्ट्रेट व छाया गवाह बा-सवारी गाड़ी सरकारी नं० HR03W6606 जिसका चालक मुख्य सिपाही राजीव न० 427/YNR व गाड़ी सरकारी नं० HR03Z3958 जिसका चालक ई०एच०सी० हरभजन न० 1262/AMB के रेडिंग पार्टी तैयार करके, तफतीशी बेग, लैपटोप व प्रिंटर को साथ लेकर रवाना उपायुक्त कार्यालय कुरुक्षेत्र व आगामी कार्यवाही हेतु रवाना आईन्दा का होता हूँ। अज-कार्यालय राज्य चौकसी ब्यूरो उपकेन्द्र कुरुक्षेत्र।

Sd Joginder Singh
जोगिन्द्र सिंह निरीक्षक
राज्य चौकसी ब्यूरो
उपकेन्द्र कुरुक्षेत्र।
दिनांक 16.06.2022
समय:- 5-35pm

अज थाना – लिखित लेख उपरोक्त बाजूम उपरोक्त थाना मे प्राप्त होने पर अभियोगांक 10 दिनांक 16.06.2022 धारा 7 पी.सी एक्ट-1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल अम्बाला अंकित किया जाकर अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट व नकल मिसल पुलिस मय असल लेख बादस्त आने वाले स.उ.नि. विकास कुमार न. 4/421 के निजद ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब कुरुक्षेत्र व निजद अनुसंधानकर्ता घटना स्थल का किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां सम्बन्धित की सेवा में डाक के माध्यम से भिजावाई जायेंगी। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद): I (Inspector)
JOGINDER SINGH
No. (सं.): 66 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): ajay

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant
of Police)

No. (सं.): hps

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

